सं०सं० म०नि० II उ० यो० 101 / 2022 23 / 2121/DR 13.12.22

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक ....

विषय— राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" के तहत् जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 160.75776 लाख (एक करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 148.49676 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख उनचास हजार छः सौ छिहत्तर) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि मो0 12,26,100/– रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 160.75776 लाख (एक करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ छिहत्तर) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त कुल बजट उपबंध में से जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 148.49676 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख उनचास हजार छः सौ छिहत्तर) रुपये मात्र एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए शेष राशि मो0 12,26,100/– रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है–

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला का नाम
1	Renovation of Hygienic Fish Market in Shalimar, Dhurwa, Ranchi	62,26,100/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 11.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
	कुल योग:	**62,26,100/–**		

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है–

क०	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला का नाम
1	Construction of New Entrance Gate, Landscaping for Campus Development, New Drainage System and Construction of 14 Nos of New Wholesale shop and new miscellaneous work at Fisheries Market, Shalimar, Dhurwa, Ranchi	97,27,800/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 11.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची

2	20.0 KW New Power Connection at Retail Fish Market, Dhatkidih, Jamshedpur (Sanction Load : 14.0 KW Purpose : Commercial Supply Voltage : 0.415 kV)	1,21,876/- (Installation Charges – 90,965/- Misc. Charges – 111/- Energy Security – 30,800/-)	टाटा स्टील लिमिटेड, जुस्को टाउन सर्विस, जमशेदपुर का पत्रांक EST/JSR/13092270739/2022-23 (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 735 दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से प्राप्त)	जमशेदपुर
	कुल योग:	98,49,676 / –		

3. विभागीय राज्यादेश संख्या–24 रा० (वि०) दिनांक 11.011.2022 द्वारा मत्स्य विपणन योजना" अंतर्गत बजट शीर्ष–2405–मछली पालन में उपबंधित राशि मो० 100 लाख रु० में से मो० 49.20 लाख रु० (उनचास लाख बीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।
4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा :–

(क) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन

(राशि लाख रू0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010150010323**	20.00	20.00	0.00	0.00
2	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–23– आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078950010323**	10.00	9.20	0.00	0.80
3	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079650010323**	20.00	20.00	0.00	0.00
4	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079650010544**	50.00	0.00	50.00	0.00
	उप योग :	**100.00**	**49.20**	**50.00**	**0.80**

(ख) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–62–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050079662010545**	100.00	0.00	98.49676	1.50324
	उप योग :	**100.00**	**0.00**	**98.49676**	**1.50324**
	कुल योग (क) + (ख) :	200.00	49.20	148.49676	2.30324

(एक करोड़ अड़तालीस लाख उनचास हजार छः सौ छिहत्तर) रु0 मात्र।

5. (i) राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

(ii) **कंडिका 2 (क) में उल्लिखित जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 62,26,100/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में जीर्णोद्धार मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 50,00,000/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 12,26,100/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए आवंटन निर्गत कर किया जा सकेगा।**

6. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। कंडिका 2 (क) एवं (ख) क्रमांक–1 में अंकित जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची के कार्यपालक अभियंता को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी तथा कंडिका 2 (ख) क्रमांक–2 में अंकित कार्य के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये टाटा स्टील लिमिटेड, जुस्को टाउन सर्विस, जमशेदपुर के पत्रांक EST/JSR/13092270739/2022-23 के आलोक में डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से "टाटा स्टील लिमिटेड" को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

8. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

9. टाटा स्टील लिमिटेड, जुस्को टाउन सर्विस, जमशेदपुर के पत्रांक EST/JSR/13092270739/2022-23 के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन एवं मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय अंतर्गत कुल स्वीकृत बजट मो0 300.00 लाख (संशोधित बजट उपबंध – मो0 297.11 लाख रु0 मात्र) में से मो0 199.91 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....31 (रा0वि0).... रॉची, दिनांक:–....19.12.22....

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ....31(रा0वि0) रॉची, दिनांक 19.12.22

प्रतिलिपि: निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉची/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0 – 02, रॉची/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव